

Pleaded
necess

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF
THE CRIMINAL
CODE, 1898
PROCEDURE**

In the court of . **कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड**

प्रकरण क्रमांक 52/18

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना
गोहद जिला प्रशासन भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused-

1. बनवारी कुशवाह पुत्र रणधीर
निवासी- पुराने थाने के पास, गोहद जिला भिण्ड
2. विनोद चौहान पुत्र अमर सिंह चौहान
निवासी- वार्ड क्र० 9 उरबाई मोहल्ला गोहद जिला भिण्ड

The offence complained of, and date of its alleged
commission

आपने दिनांक 17.03.2018 को 21:00 बजे वार्ड क्र० 9, उरबाई मोहल्ला माता
मंदिर के पीछे गोहद में ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का दांव लगाकर
जुआ खेला।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत
दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों।

RA
23/3/18

The plea of the accused and his examination [if any]--
आरोपी का अभिवाक-

अपराध स्वीकार करता हूँ

बनवारी

विनोद

RA
23/3/18

प्रतिष्ठा अवस्थी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला-भिण्ड (म.प्र.)

The offence proved, if any in, case under clause (d),
clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of
section 260, the value of the property in respect of which the
offence has been committed

// निर्णय //

(आज दिनांक 23.03.2018 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अंतर्गत 100/- 100/- रुपयेके अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को पांच पांच दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
4. प्रकरण में जप्तशुदा एक ताश की गड़डी नष्ट हो। जप्तशुदा रुपये 800/- रुपये राजसात किये जाते है। अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो।

स्थान-भिण्ड

दिनांक- 23.03.2018

निर्णय आज दिनांकित एवं
हस्तक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

RA

23/3/18

(प्रतिष्ठित अवाकसी)
जम्मू एंड कश्मीर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोरख जिला- भिण्ड (म.प.)

RA

23/3/18

(प्रतिष्ठित अवाकसी)
जम्मू एंड कश्मीर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोरख जिला- भिण्ड (म.प.)